इकाई 3 विद्यालयों एवं अध्यापकों का सषक्तीकरणः विभिन्न संस्थानों की भूमिका

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देष्य

3.3 विद्यालय एवं अध्यापकों का सषक्तीकरण

3.3.1 विद्यालय के सषक्तीकरण के आयाम

3.3.2 अध्यापकों के सषक्तीकरण के आयाम

3.4 संकुल संसाधन केन्द्रों की पृष्ठभूमि एवं भूमिका

3.4.1 विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण उन्नत करने में

3.4.2 संकुल स्तर की कार्य योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में

3.5 खंड संसाधन केन्द्रों की पृष्ठभूमि एवं भूमिका

3.5.1 संकुल संसाधन केन्द्रों के कार्यों में सहयोग

3.5.2 संकुल संसाधन केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी

3.6 जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान की भूमिका

3.6.1 खंड स्तर के कार्यों में सहायता

3.6.2 खंड संसाधन केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी

3.6.3 विभिन्न कार्यकलाप जैसे षिक्षक प्रषिक्षण, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रौढ़ षिक्षा के कार्यक्रम

3.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद की भूमिका

3.7.1 राज्य सरकार के सलाहकार की भूमिका

3.7.2 षिक्षण प्रषिक्षण

3.7.3 शैक्षिक अनुसंधान

3.7.4 पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण

3.7.5 शैक्षिक योजना निर्माण में एवं कार्यान्वयन में सहयोग

3.8 सारांष

3.9 अभ्यास कार्य

3.10 चर्चा के बिन्दु

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.12 संदर्भ पुस्तकें एवं प्रस्तावित पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना

षिक्षा समाज का दर्पण तो है ही साथ–ही–साथ यह समाज की उन्नति का साधन भी है। आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की तकनीकियों के प्रादुर्भाव एवं षिक्षण–अधिगम में इनके अनुप्रयोग से विद्यालयों एवं अध्यापकों के समक्ष निरंतर समय की दौड़ में बने रहने की चुनौती उपस्थित रहती है। जहाँ एक ओर विद्यालयों को नए–नए उपकरणों जैसे कम्प्यूटर आदि को षिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण अंग बनाने का प्रयास करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अध्यापकों को नई–नई प्रविधियों, कौषलों एवं कार्यक्रमों को जानने की एवं समझने की आवष्यकता रहती है। जिससे कि वह बदलती परिस्थितियों में अपने आपको समायोजित ही

नहीं बल्कि प्रभावी बने रहने का प्रयास कर सकें। अतः विद्यालयों एवं षिक्षकों को सदैव सषक्तीकरण के लिए अवसरों एवं संसाधनों की आवष्यकता बनी रहती है।

सषक्तीकरण के इस प्रयास में विद्यालयों एवं षिक्षकों की मदद हेतु राज्यों में विभिन्न स्तरों पर षिक्षक विकास केन्द्रों जैसे संकुल संसाधन केन्द्रों (Cluster Resource Centres - CRC) तथा खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों (Block Resource Centres - BRC) एवं संस्थानों जैसे जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों (District Institutes of Educational Training - DIETs) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training – SCERT) की स्थापना की गई है।

निम्न आरेख में विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के षिक्षक व विद्यालयी षिक्षा के केन्द्रों एवं संस्थानों को दर्षाया गया है।

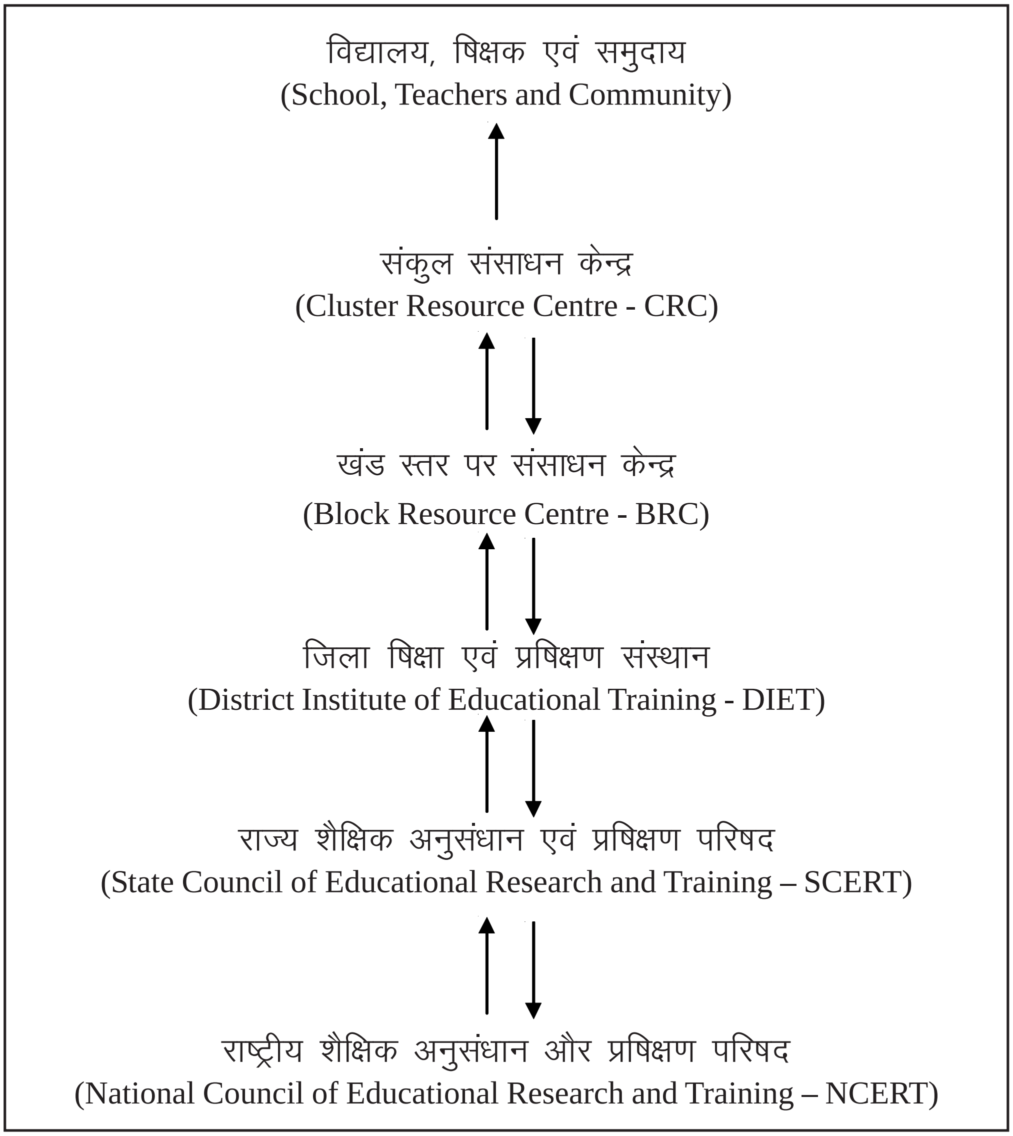

इस इकाई में आप इन विभिन्न केन्द्रों एवं संस्थानों की भूमिका के विषय में जानेंगे।

3.2 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के पष्चात् आपः

- विद्यालयों तथा षिक्षकों के सषक्तीकरण के विभिन्न आयामों के बारे में समझ सकेंगे।
- संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) के महत्व को समझ सकेंगे।

- खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों (BRCs) की आवष्यकता एवं विद्यालयों एवं षिक्षकों के विकास में इनकी भूमिका समझ सकेंगे।
- जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों (DIETs) की पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक षिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में इनकी भूमिका को समझ सकेंगे।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद् (SCERT) के विभिन्न कार्यों के बारे में जान सकेंगे।
- विद्यालयों तथा अध्यापकों के सतत् एवं प्रासंगिक विकास में इन सभी केन्द्रों/संस्थानों की विशेष भूमिका की सराहना कर सकेंगे।

3.3 विद्यालय एवं अध्यापकों का सषक्तीकरण

विद्यालय एवं अध्यापकों के सषक्तीकरण से अभिप्राय है विद्यालय की प्रभावषीलता एवं अध्यापकों की सकल क्षमताओं में वृद्धि। कोई भी विद्यालय तथा अध्यापक यदि प्रगति और विकास की दौड़ में बने रहना चाहता है तो उसे षिक्षा में नए सुधारों एवं नवाचारों को अपनाना होगा।

3.3.1 विद्यालय के सषक्तीकरण के आयाम

यदि आप एक विद्यालय प्रमुख अथवा प्रबंधक हैं और अपने विद्यालय को प्रगतिषील बनाए रखना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों को जानने का प्रयास करना होगाः

1) षिक्षा की व्यवस्था की क्या सुविधाएँ एवं सामग्री विद्यालय में उपलब्ध हैं?
2) किन–किन विशेष सामग्रियों एवं सुविधाओं को जुटाने की आवष्यकता है?
3) क्या आपके विद्यालय में ढाँचागत सुविधाएँ पर्याप्त हैं?
4) क्या सभी प्रकार की सरकारी सहायता, सहयोग, सामग्री एवं संसाधन आपको समय पर प्राप्त हो जाते हैं?
5) क्या आप विद्यालय विकास योजना को (School Development Plan) प्रभावी ढंग से बनाकर उसे क्रियान्वित कर पाते हैं?
6) क्या आपके सभी अध्यापक सेवापूर्व प्रषिक्षण प्राप्त हैं, और उन्हें समय–समय पर अंतःसेवा प्रषिक्षण मिलता रहता है?
7) क्या आप विद्यालय प्रबंधन की बारीकियों से अवगत हैं?

उपरोक्त सभी विद्यालय के सषक्तीकरण के आयाम हैं। और इनमें से यदि एक भी प्रष्न का उत्तर नहीं में है तो, आपको अपने क्षेत्र के संकुल संसाधन केन्द्र, खंड स्तर पर संसाधान केन्द्र, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद से संपर्क साधने की आवष्यकता है।

3.3.2 अध्यापकों के सषक्तीकरण के आयाम

प्रभावी षिक्षक निरंतर विद्यार्थी बना रहता है और अपने ज्ञान एवं षिक्षण कौषलों का विकास करने को उत्सुक रहता है। यदि आप प्रभावी एवं सषक्त षिक्षक बनना चाहते हैं तो अपने आपसे निम्न प्रष्न कीजिएः

1) क्या आप अपने विषय के ज्ञान में स्वयं पर भरोसा (self-confidence) रखते हैं?

2) क्या आप अपने विषय से संबंधित षिक्षण की नवीनतम विधियों, प्रविधियों एवं उपागमों से परिचित हैं और उनका उपयोग करने में सक्षम हैं?

3) क्या आप पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के नवीनतम सुधारों जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005 (National Curriculum Framework – NCF - 2005), और सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE) के विभिन्न पहलुओं और उनकी मूल भावना को समझते हैं?

4) क्या आप "षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" (Right to Education Act – RTE Act) में वर्णित अध्यापकों एवं विद्यालयों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानते हैं?

5) क्या आप अपने आपको एक सफल अध्यापक के रूप में देखते हैं और आपके सभी या अधिकांष विद्यार्थी आपके षिक्षण से लाभान्वित होते हैं?

6) क्या आपको अपनी व्यावसायिक तरक्की करने के अवसरों एवं सहायक केन्द्रों की जानकारी है।

उपरोक्त सभी, षिक्षकों के सषक्तीकरण के आयाम हैं। और यदि इनमें से एक भी प्रष्न का उत्तर 'नहीं' में है, तो आपको अपनी मदद, मार्गदर्षन एवं विकास के लिए अपने क्षेत्र के संकुल संसाधन केन्द्र (CRC), खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र (BRC), जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद (SCERT) से संपर्क साधकर उक्त प्रष्नों से संबंधित हल ढूँढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

3.4 संकुल संसाधन केन्द्रों की पृष्ठभूमि एवं भूमिका

संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) को स्थापित करने की संकल्पना "जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम" (District Primary Education Programme - DPEP) के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई। यह कार्यक्रम (DPEP) देष के कुछ राज्यों के अति पिछड़े (षैक्षिक रूप से) जिलों में सन् 1990–2000 के दषक में चलाया गया। उक्त कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेषों में "प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमिकीकरण" (Universalization of Elementary Education - UEE) के लिए "सर्व षिक्षा अभियान" सन् 2001 में चलाने का निर्णय लिया। इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त षिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया।

सर्व षिक्षा अभियान के तहत् विभिन्न प्रयासों में से एक है कुछ विद्यालयों (15–20) का एक संकुल (cluster) बनाना तथा इन विद्यालयों एवं अध्यापकों के मार्गदर्षन, व्यावसायिक विकास, पर्यवेक्षण, शैक्षिक सहयोग एवं निगरानी हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) की स्थापना करना भी शामिल है। इन केन्द्रों की गतिविधियाँ समन्वयकों द्वारा संचालित की जाती है।

3.4.1 विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण उन्नत करने में

आपको यदि किसी विषयवस्तु को छात्रों को समझाने में कठिनाई आ रही है, अथवा उस षिक्षा में नवाचारों के बारे में जानकारी एवं उन्हें अपनाने हेतु विशेष प्रषिक्षण चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के संकुल संसाधन केन्द्र के समन्वयक से संपर्क करें और अपनी जिज्ञासा एवं शैक्षणिक आवष्यकता बताएँ। संकुल संसाधन केन्द्र द्वारा आयोजित आगामी प्रषिक्षण कार्यक्रम या कार्यषाला द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इन केन्द्रों

(CRCs) के माध्यम से अध्यापकों एवं मुख्याध्यापकों की प्रषिक्षण आवष्यकताओं का पता लगाया जाता है, तथा तदनुसार प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे उनके ज्ञान, कौषलों एवं आत्मविष्वास का संवर्धन करके विद्यालयों में षिक्षा के स्तर को उन्नत किया जा सके। इसके अतिरिक्त ऊपर के स्तरों (राज्य, जिला एवं खंड) से प्राप्त सूचनाओं, दिषानिर्देषों एवं षिक्षण सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य पूरक पुस्तकें आदि विद्यालयों तक समय पर पहुँचाना तथा विद्यालय एवं अध्यापकों की समस्याओं को ऊपरी स्तरों तक पहुँचाना भी शामिल है। उपरोक्त के अलावा संकुल संसाधन केन्द्र, विद्यालयों में षिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में निम्न प्रकार मदद करते हैं:

1) अध्यापकों एवं विद्यालयों की, छात्रों के उपलब्धि परीक्षण पत्र (Achievement Test Papers) बनाने में मदद करना।

2) गुणवत्ता निगरानी प्रारूपों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ एवं आँकड़े विद्यालयों से प्राप्त करके, अपनी टिप्पणी एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट (Analytical Report) तैयार करना और प्रत्येक सत्र की रिपोर्ट खंड स्तर के अधिकारियों (समन्वयकों) को भेजना।

3) समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर षिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 एवं षिक्षा के गुणवत्तापरक सुधारों में उनकी भूमिका के बारे में अवगत कराकर उन्हें विद्यालय के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका के लिए प्रेरित करना।

4) संकुल स्तर पर विषय विशेषज्ञों का एक संदर्भ समूह गठित करना एवं समय–समय पर उनकी सेवाओं का लाभ विद्यालयों एवं अध्यापकों तक पहुँचाना।

आप भी अपने आप को प्रभावी षिक्षक के रूप में विकसित कर संकुल संसाधन केन्द्रों के समन्वयक अथवा स्रोत व्यक्ति (resource person) बन कर विद्यालयी षिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं।

3.4.2 संकुल स्तर की कार्य योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में

यदि आप संकुल संसाधन केन्द्र के समन्वयक का कार्य कर रहे हैं, तो आपको अपने केन्द्र के तहत् आने वाले सभी विद्यालयों में सभी प्रकार के आँकड़ों जैसे षिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों के प्रवेष में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि अथवा गिरावट की दर, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों (Drop out children) की संख्या एवं प्रतिषत, विद्यालयों को प्राप्त होने वाली आर्थिक एवं सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकें आदि की सहायता का ब्यौरा, अध्यापकों की प्रषिक्षण आवष्यकताओं, विद्यालयों की संरचना संबंधी (infrastructural) आवष्यकता को पूरे वर्ष में सत्रीय आधार पर एकत्र करना ज़रूरी है। इन आँकड़ों एवं सूचनाओं को आपको अपने संकुल स्तर की अगली वार्षिक कार्य योजना (Work Plan) बनाने में उपयोग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त संकुल स्तर पर आपको प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य भी करने होंगे:

1) संकुल स्तर पर कार्य योजना बनाने हेतु कार्यषालाओं का आयोजन कर स्थिति का आंकलन करना एवं भविष्य की संभावित व्यूह रचनाओं (strategies) के बारे में विचारविमर्ष करना।

2) विद्यालयों के प्रमुखों/मुख्याध्यापकों, समुदाय के प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) के सदस्यों से समय–समय पर चर्चा एवं गोष्ठी आयोजित कर, आने वाले वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना (School Development Plan) तैयार करने में उनकी मदद एवं मार्गदर्षन करना।

3) संकुल स्तर के विद्यालय से बाहर के बच्चों (Out of School Children) से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर, ऐसे सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेष सुनिष्चित करने का प्रयास करना तथा ऐसे बच्चों के लिए विद्यालयों में विशेष प्रषिक्षण षिक्षा (Special Training) की व्यवस्था कराना और उसकी निगरानी करना।

4) विभिन्न योजनाओं जैसे सर्व षिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना को अपने संकुल में सुचारू रूप से क्रियान्वयन में विद्यालयों की मदद करना तथा अपनी निगरानी रिपोर्ट (Monitoring Report) उच्च स्तरों के अधिकारियों को प्रेषित करना आदि।

बोध प्रष्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) आपका विद्यालय किस संकुल संसाधन केन्द्र (Cluster Resource Centres - CRC) के अंतर्गत आता है?

....

....

....

....

2) आपके संकुल संसाधन केन्द्र (CRC) के अंतर्गत कुल कितने विद्यालय हैं और उनमें से कितने प्राथमिक तथा कितने उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं?

....

....

....

....

3) आपके संकुल संसाधन केन्द्र के समन्वयक का क्या नाम है?

....

....

....

....

4) गत वर्ष में आयोजित संकुल स्तर के अन्तः सेवा षिक्षक प्रषिक्षण कार्यक्रमों के विषयों (Themes/Topics) की सूची बनाओ।

....

....

....

....

3.5 खंड संसाधन केन्द्रों की पृष्ठभूमि एवं भूमिका

ये केन्द्र भी संकुल संसाधन केन्द्रों (Cluster Resource Centres - CRCs) की तरह ही “जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम” (District Primary Education Programme - DPEP) के बाद “सर्व षिक्षा अभियान” (SSA) के तहत खंड स्तर पर स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों (खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों - BRCs) की विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी समन्वयकों (Coordinators) द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र (BRCs), जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) एवं संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र (BRC) के समन्वयक के रूप में आपको विभिन्न कार्य करने होते हैं जैसे खंड के सभी संकुल संसाधन केन्द्रों के कार्यों में सहयोग तथा संकुल संसाधन केन्द्रों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना।

3.5.1 संकुल संसाधन केन्द्रों के कार्यों में सहयोग

खंड समन्वयक के नाते आपको अपने खंड के सभी संकुल संसाधन केन्द्रों के कार्यों में उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होता है। जैसे सेवाकालीन षिक्षकों का प्रषिक्षण, मुख्याध्यापकों का प्रषिक्षण, संकुल समन्वयकों का प्रषिक्षण, संकुल स्तर की रिपोर्टों का विश्लेषण कर संकुलों के लिए आवष्यक सलाह एवं मार्गदर्षन प्रदान करना, जिससे कि खंड के सभी विद्यालयों में अच्छी षिक्षा की व्यवस्था हो सके।

3.5.2 संकुल संसाधन केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी

आपको एक खंड समन्वयक के नाते अपने खंड के सभी संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करनी होती है। आपके इन कार्यों में शामिल हैं:

1) खंड स्तर पर संकुल समन्वयकों की मासिक बैठकों/गोष्ठियों की योजना बनाना तथा उनका आयोजन करना।

2) मासिक बैठकों के माध्यम से पूर्व में दिए गए दिषा निर्देषों के संकुल स्तर व विद्यालय स्तर पर अनुपालन का जायजा लेना एवं भविष्य के लिए आवष्यक सुझावों व दिषा निर्देषों को जारी करना।

3) संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) के समन्वयकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना और यदि आवष्यक हो तो जिला स्तर के अधिकारियों से इसमें मदद लेना।

4) सूचना के आदान–प्रदान के लिए प्रभावी सूचना प्रबंधन प्रणाली (Management Information System) को खंड तथा संकुल स्तरों पर स्थापित करने का प्रयास करना।

5) गुणवत्ता निगरानी उपकरणों (Quality Monitoring Tools) के द्वारा संकुल स्तरों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट जिला स्तर के अधिकारियों तक पहुँचाना।

6) अपने पर्यवेक्षण एवं निगरानी के आधार पर संकुल समन्वयकों को पृष्ठपोषण (फीडबैक) एवं मार्गदर्षन देना।

7) संकुल समन्वयकों के सषक्तीकरण के लिए षिक्षा में विभिन्न नवाचारों एवं कार्यक्रमों जैसे समावेषी षिक्षा (Inclusive Education), सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous

and Comprehensive Evaluation - CCE), राष्ट्रीय एवं बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005 (National and Bihar Curriculum Framework), "षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" (Right to Education Act – RTE Act) पर आधारित कार्यषालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन करना।

बोध प्रष्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

5) आपका विद्यालय किस खंड स्तर के संसाधन केन्द्र (Block Resource Centre - BRC) के अंतर्गत आता है?

....

....

....

....

....

6) आपके खंड में कुल कितने संकुल संसाधन केन्द्र (CRCs) हैं? उन सभी की सूची बनाएँ।

....

....

....

....

....

7) आपके खंड स्तर संसाधन केन्द्र के समन्वयक का क्या नाम है?

....

....

....

....

....

3.6 जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान की भूमिका

प्रारंभिक षिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान स्थापित करने की सिफारिष राष्ट्रीय षिक्षा नीति (1986) में की गई थी। इसके उपरान्त देष के अधिकतर राज्यों एवं केन्द्र शाासित प्रदेषों में जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) खोले गए। बिहार राज्य में भी ऐसे संस्थानों को खोला गया है। इन संस्थानों में निम्न सात इकाइयों के संचालन हेतु विस्तृत, दिषा निर्देष एवं मार्गदर्षन, भारत सरकार के मानव

संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में जारी किया गया। इन दिषा निर्देषों में प्रत्येक जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान में सात इकाइयों अथवा विभागों की अनुषंसा की गई। परंतु राज्य सरकारें आवष्यकता अनुसार इन में परिवर्तन कर सकती हैं:

जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) की इकाइयों के नामः

1) सेवा पूर्व–षिक्षक षिक्षा (Pre-Service Teacher Education - PSTE)
2) अन्तः सेवा प्रषिक्षण, क्षेत्र एकीकरण, नवाचार एवं समन्वयन (In-Service Training Field Integration, Innovation and Coordination - IFIIC)
3) पाठ्यचर्या सामग्री विकास एवं मूल्यांकन (Curriculum Material Development and Evaluation - CMDE)
4) शैक्षिक तकनीकी (Eduational Technology - ET)
5) योजना एवं प्रबंधन (Planning and Management - PM)
6) जिला संसाधन एकक (District Resource Unit - DRU)
7) कार्यानुभव (Work Experience - WE)

जैसा कि इन इकाइयों के नामों से ही विदित है, इनकी संकल्पना विद्यालयी षिक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखकर की गई है।

आपने अपने राज्य में देखा होगा कि इन संस्थानों द्वारा सेवापूर्व षिक्षक प्रषिक्षण का द्विवर्षीय कार्यक्रम चलाया जाता है। सेवारत प्रषिक्षण की प्रषिक्षण आवष्यकताओं को ध्यान में रखकर एवं केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को अध्यापकों एवं विद्यालयों तक पहुँचाने हेतु विशेष प्रषिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यषालाएँ भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों (DIETs) द्वारा आयोजित की जाती हैं। आप इन संस्थानों के कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में समझ सकते हैं:

3.6.1 खंड स्तर के कार्यों में सहायता

1) जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों (DIETs) के विभिन्न कार्यों में खंड स्तर की गतिविधियों जैसे षिक्षक प्रषिक्षण की स्थिति, खंड स्तर पर सर्व षिक्षा अभियान आदि की प्रगति की समीक्षा करना एवं खंड स्तर तक सभी प्रकार की सहायता, सामग्री व संसाधन जो विद्यालयों तक पहुँचनी है, उनको यथासमय मुहैया कराना भी शामिल है।

2) खंड स्तर के अधिकारियों के साथ समय–समय पर बैठकें कर उनकी समस्याओं को सुनना तथा सभी प्रकार की विद्यालयी षिक्षा के सुधार की गतिविधियों पर उनकी रिपोर्टों पर चर्चा करके भविष्य के लिए पृष्ठपोषण प्राप्त करना भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) के कार्यों में आता है।

3) खंड स्तर एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद (SCERT) तथा राज्य के षिक्षा विभाग के मध्य एक योजक कड़ी की भूमिका का निर्वहन करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रातिषीघ्र करना भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) का अहम कार्य है।

3.6.2 खंड संसाधन केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी

1) जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) को अपने जिले के सभी खंडों के समन्वयकों के कार्यों एवं गतिविधियों को समय–समय पर पर्यवेक्षण करना होता है।

2) खंडों से गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपों/प्रपत्रों में प्राप्त कर उन पर अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तर के कार्यालयों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद (SCERT) और सर्व षिक्षा अभियान के मामले में राज्य परियोजना कार्यालय (State Project Office - SPO) को भेजना होता है।

3) जिले के विभिन्न खंडों के विद्यालयों एवं अध्यापकों/मुख्याध्यापकों की शैक्षिक आवष्यकताओं का पता लगाकर तदनुरूप कदम उठाना, जिससे कि जिले में सभी विद्यालयों में प्रारंभिक षिक्षा के लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जा सके।

4) जिले से निचले स्तर के शैक्षिक सहायता प्रदाता अंगों (केन्द्रों/संस्थानों) जैसे संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) एवं खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों (BRCs) के समन्वयकों के मध्य एक व्यावहारिक प्रभावी समन्वयन स्थापित करने का प्रयास करना।

3.6.3 विभिन्न कार्यकलाप जैसे षिक्षक प्रषिक्षण, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रौढ़ षिक्षा के कार्यक्रम

1) **षिक्षक प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः** प्रारंभिक षिक्षा (Elementary Education) के दोनों स्तरों क्रमषः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के षिक्षकों हेतु समय–समय पर अन्तःसेवा प्रषिक्षण का आयोजन करना तथा सेवा पूर्व "डिप्लोमा इन एजुकेषन" का द्विवर्षीय कार्यक्रम भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) द्वारा चलाया जाता है।

2) **पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण** : विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या सामग्री, षिक्षक संदर्षिकाएँ एवं मुख्याध्यापकों, शैक्षिक पर्यवेक्षकों और समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्षिकाएँ अथवा प्रषिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करना जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) का एक मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए कार्य पुस्तिकाओं एवं पूरक अधिगम सामग्री का भी विकास इन संस्थानों में किया जाता है। यदि आप इस प्रकार की सामग्री के निर्माण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो अपने जिले के जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) के प्राचार्य अथवा पाठ्यचर्या विकास की इकाई के वरिष्ठ प्रवक्ता से संपर्क कर सकते हैं।

3) **शैक्षिक अनुसंधानः** षिक्षा की समस्याओं, अध्यापक तथा विद्यालय की प्रभाविकता की जाँच, समुदाय का षिक्षा के प्रति रुझान, समावेषी षिक्षा के लिए विद्यालयों की ज़रूरतें अध्यापकों द्वारा प्राप्त प्रषिक्षण का लाभ कक्षाकक्ष की प्रक्रिया तक ले जाना (Follow-up of Teachers' Training), छात्रों का विद्यालय से पलायन (छोड़ना), बालिकाओं की षिक्षा के प्रति मातापिता का दृष्टिकोण आदि बातों/विषयों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक अनुसंधान की आवष्यकता होती है। जिला स्तर पर जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) को इस कार्य को प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए खंड एवं संकुल स्तर के समन्वयक एवं षिक्षा अधिकारियों को जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) द्वारा प्रषिक्षित किया जाता है, तथा षिक्षा अनुसंधान की विभिन्न बारीकियों, चरणों जैसे प्रष्नावली का निर्माण (preparation of questionnaire), प्रतिदर्ष (sample) चयन प्रक्रिया, रिपोर्ट लिखना आदि के विषय में उनका मार्गदर्षन करने हेतु जिला स्तर पर कार्यषालाओं का आयोजन किया जाता है।

अध्यापकों को शोधकर्ता बनने के लिए प्रेरित करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान पर कार्यषालाएँ आयोजित की जाती हैं। जोकि अध्यापकों के सषक्तीकरण का एक अहम

प्रयास है। यदि आप इस प्रकार के शोध में रुचि रखते हैं, तो मार्गदर्षन हेतु अपने जिले के जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपके संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) व खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र (BRC) के समन्वयक से भी आपको सहायता मिल सकती है।

4) **प्रौढ़ षिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजनः** जिला स्तर पर प्रौढ़ षिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा खंड एवं संकुल स्तर पर इनका क्रियान्वयन कराना और समय–समय पर इन कार्यक्रमों की निगरानी करना भी जिला संसाधन एकक (DRU) का कार्य है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, नवसाक्षरों हेतु पाठन सामग्री का निर्माण, स्थानीय भाषा व परिवेष को ध्यान में रखकर करना भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIET) के कार्यों में आता है। जिले के प्रत्येक आवास (habitation) के निरक्षरों से संबंधित आँकड़े एकत्र करना तथा आवष्यकता अनुसार प्रौढ़ षिक्षा कार्यक्रम चलाकर जिले की साक्षरता दर को बढ़ाने का दायित्व भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान का ही है।

उपरोक्त सभी बातों के अलावा जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) बनाने में सर्व षिक्षा अभियान के जिला कार्यालय (DPO) की सहायता करने में भी जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ–ही–साथ अपनी निगरानी रिपोर्ट तैयार करने हेतु खंडों की रिपोर्टों को आधार बनाना और अपनी रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजना भी एक कार्य है।

बोध प्रष्न 3

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

8) आपके राज्य (बिहार) में कुल कितने जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (DIETs) हैं?

....

....

....

....

....

....

9) उन जिलों के नाम लिखें जिनमें अभी तक जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान नहीं खुले हैं।

....

....

....

....

....

....

10) यदि आपके जिले में जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान है तो वह कहाँ पर स्थित है? और यदि नहीं तो आपका खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र किस तरह जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान से जुड़ा है?

....

....

....

....

....

11) एक जिले मे कुल कितने जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं?

....

....

....

....

....

12) जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान की सभी इकाईयों के नाम लिखिए।

....

....

....

....

....

3.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद की भूमिका

राष्ट्रीय षिक्षा नीति (1986) में, षिक्षक षिक्षा एवं षिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training – NCERT) के समतुल्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training – SCERT) के गठन की सिफारिष भी की गई थी। इन परिषदों के गठन हेतु, पूर्ववर्ती राज्य षिक्षा संस्थानों (SIEs) को खत्म करके बनाने की बात कही गई थी। आज देष के राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेषों में 29 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। बिहार राज्य में भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद, पटना में स्थित है। इस परिषद के विभिन्न कार्य मुख्य रूप से निम्न में विभाजित किए जा सकते हैं:

3.7.1 राज्य सरकार के सलाहकार की भूमिका

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद, राज्य की शैक्षणिक आवष्यकताओं का अध्ययन करके षिक्षा सलाहकार के रूप में राज्य के षिक्षा विभाग की सहायता करती है।

शैक्षिक ढाँचे एवं षिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयासों में राज्य सरकार की सहायता में भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद् की विशेष भूमिका है।

3.7.2 षिक्षण प्रषिक्षण

संकुल, खंड एवं जिला स्तर के षिक्षक प्रषिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा समयसारिणी तैयार करना तथा इन कार्यक्रमों के लिए सभी प्रकार की आवष्यक सामग्री तैयार कराना, स्रोत व्यक्तियों की सूची तैयार करना और उनको प्रषिक्षण देना, प्रषिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी, रिपोर्ट तैयार करना, फीडबैक एकत्र करना आदि प्रषिक्षण संबंधी गतिविधि भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद द्वारा संचालित एवं सम्पादित की जाती है।

3.7.3 शैक्षिक अनुसंधान

षिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, कार्यक्रमों की प्रगति, विद्यालयों एवं षिक्षकों के सषक्तीकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने हेतु शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा राज्य स्तर पर शोध कार्य करना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद का मुख्य कार्य है। षिक्षक में शोध कार्य हेतु आवष्यक सामग्री जैसे मार्गदर्षिकाएँ आदि विकसित करना तथा विभिन्न जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों के षिक्षक प्रषिक्षकों एवं षिक्षा अधिकारियों को प्रषिक्षण देना भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद के दायित्व में आता है।

3.7.4 पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण

सभी प्रकार की विद्यालयी षिक्षा के पाठ्यक्रम विकास एवं पाठ्यपुस्तक लेखन में राज्य के लिए अग्रणी भूमिका निभाना भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद का मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे, प्रषिक्षण पुस्तिकाएँ (मॉड्यूल), षिक्षक संदर्षिकाएँ, छात्रों के अधिगम संवर्धन (learning enhancement), सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE), षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009″ (Right to Education Act – RTE Act, 2009) आदि विषयों पर मार्गदर्षिकाएँ तैयार करने का कार्य भी किया जाता है। आप भी यदि अपने विषयज्ञान में अच्छा आत्मविष्वास एवं प्रवीणता रखते हैं तो इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विद्यालयी षिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों एवं नवाचारों पर सामग्री तैयार करना एवं इनके परीक्षण/कार्यान्वयन के बाद रिपोर्ट आदि तैयार कर उन्हें जिला, खंड तथा संकुल स्तरों तक पहुँचाना भी एक मुख्य कार्य है।

3.7.5 शैक्षिक योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहयोग

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद राज्य की शैक्षिक योजना के निर्माण हेतु विभिन्न आँकड़े, शोध आधारित सिफारिषें एवं सुझाव देकर अहम् व कारगर भूमिका अदा करती है। साथ–ही–साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भी परिषद का सक्रिय योगदान एवं भागीदारी रहती है। षिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु नई प्रविधियों जैसे कम्प्यूटर आधारित अधिगम (Computer Aided Learning - CAL) आदि के विकास एवं प्रोत्साहन में राज्य सरकारों की मदद कर इन्हें विद्यालय तक पहुँचाना तथा तदनुसार अध्यापकों के प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद् द्वारा किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 4

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

13) बिहार में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद कहाँ स्थित है?

....

....

....

....

14) बिहार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई?

....

....

....

....

15) बिहार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद के निदेषक कौन हैं?

....

....

....

....

3.8 सारांष

इस इकाई के अध्ययन के पष्चात आप जान गए होंगे कि किस प्रकार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संकुल संसाधन केन्द्र, खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद, विद्यालयों व अध्यापकों के सषक्तीकरण का प्रयास करते हैं। आपने विद्यालय एवं षिक्षकों के सषक्तीकरण के विभिन्न आयामों के बारे में भी इस इकाई में पढ़ा। उपरोक्त चर्चा के बाद आप इन सभी केन्द्रों एवं संस्थानों की भूमिका, षिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में कितनी उपयोगी है, यह समझ गए होंगे। अतः किसी राज्य में षिक्षा के सुधारों को लागू करने एवं एक षिक्षित समाज की रचना करने के लिए ज़रूरी है कि ये सभी संस्थान/केन्द्र हर संभावित स्तर पर खुलें और प्रभावी रूप से कार्य करें।

3.9 अभ्यास कार्य

1) अपनी प्रषिक्षण आवष्यकताओं की एक सूची बनाइए।
2) अपनी कक्षा की किसी समस्या का उल्लेख कीजिए और बताइए कि इस समस्या के समाधान के लिए अपने संकुल संसाधन केन्द्र, खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र व जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान से आपको किस प्रकार की सहायता/प्रषिक्षण चाहिए।

3) इकाई में बताए गए कार्यों एवं गतिविधियों के आधार पर अपने संकुल संसाधन केन्द्र की समालोचना कीजिए।

4) "षिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए षिक्षा अनुसंधान ज़रूरी है।" इस कथन पर टिप्पणी लिखिए।

5) प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों की (Universalization of Elementary Education - UEE) भूमिका की विवेचना कीजिए।

3.10 चर्चा के बिन्दु

- अध्यापक व विद्यालय सषक्तीकरण के आयाम
- संकुल संसाधन केन्द्रों का गठन
- खंड स्तर पर संसाधन केन्द्र की आवष्यकता
- जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद
- क्रियात्मक अनुसंधान
- षिक्षक प्रषिक्षण
- पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण
- शैक्षिक योजनाओं का विकास एवं उसके कार्यान्वयन के स्तर

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

अपने राज्य, क्षेत्र एवं विद्यालय विशेष को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी समझ के अनुसार इकाई में दी गई विषयवस्तु के आधार पर बोध प्रश्न संख्या 1 से 7, प्रश्न संख्या 9, 10 एवं 15 के उत्तर दें। अन्य बोध प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं।

8) स्वयं करें

11) एक

12) अनुभाग 3.6 देखें

13) पटना

14) स्वयं करें।

3.12 संदर्भ पुस्तकें एवं प्रस्तावित पुस्तकें

राष्ट्रीय षिक्षा नीति (1986), भारत सरकार।

जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों हेतु मार्गदर्षिका (1989), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

सर्व षिक्षा अभियान को लागू करने की संदर्षिका , (2003 एवं 2010), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005 (National Curriculum Framework – NCF - 2005), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद, दिल्ली।

बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2009–10 (Bihar Curriculum Framework – BCF – 2009-10), राज्य परियोजना कार्यालय, बिहार, पटना।